

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 5-1/2014/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2020

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - सामान्य भविष्य निधि लेखों में ऋणात्मक शेष के संबंध में ।

—*—

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2014/नियम/चार, दिनांक 23-12-2019 के पैरा-3 में उल्लेखित “कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सामान्य भविष्य निधि में पाये गये ऋणात्मक शेष के प्रकरणों के निराकरण हेतु उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाये ।”

अतः उक्त निर्देशों के पालन के संबंध में की गई कार्यवाही से शासन को अविलंब अवगत करायें ।



अवर सचिव


म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 5-1/2014/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2020

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
8. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल .
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
15. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


15/06/2020

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग